प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति सं.88/2024)

तत्काल प्रकाशनार्थ

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण

विषय: स्पैम कॉल्स और एसएमएस से निपटने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) द्वारा उठाए गए कदम

नई दिल्ली: 20 नवंबर, 2024 : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने स्पैम कॉल्स और एसएमएस की समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं।

सख्त कदमों के कारण स्पैम कॉल के खिलाफ शिकायतों में गिरावट: TRAI ने 13 अगस्त, 2024 को निर्देश जारी किए, जिसमें कहा गया कि जो भी इकाई प्रमोशनल वॉयस कॉल्स के लिए नियमों का उल्लंघन करती हुई पाई जाएगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें सभी टेलीकॉम संसाधनों का विच्छेदन, दो वर्षों तक ब्लैकलिस्टिंग, और ब्लैकलिस्टिंग अवधि के दौरान नए संसाधनों का आवंटन रोकना शामिल है। इन निर्देशों के अनुपालन में, एक्सेस प्रोवाइडर्स ने व्यापक कदम उठाए, जिससे स्पैम कॉल्स के खिलाफ दर्ज शिकायतों में काफी कमी आई। अगस्त 2024 में स्पैम कॉल्स के खिलाफ दर्ज शिकायतों की संख्या 1.89 लाख थी, जो सितंबर 2024 में घटकर 1.63 लाख हो गई (अगस्त 2024 की तुलना में 13% की कमी) और अक्टूबर 2024 में 1.51 लाख (अगस्त 2024 की तुलना में 20% की कमी) रही।

संदेश ट्रेसिबिलिटी को बढ़ाने में अच्छी प्रगति: संदेशों की ट्रेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए, TRAI ने 20 अगस्त, 2024 को एक निर्देश जारी किया, जिसमें कहा गया कि 1 नवंबर, 2024 से सभी संदेशों का प्रेषकों/प्रमुख संस्थाओं से प्राप्तकर्ताओं तक का रिकॉर्ड ट्रेस करने योग्य (traceable) होना चाहिए। सभी एक्सेस प्रोवाइडर्स ने तकनीकी समाधान लागू कर दिए हैं। हालांकि, तकनीकी अपग्रेड और प्रिंसिपल एंटिटीज (PEs) और टेलीमार्केटर्स (TMs) द्वारा चेन डिक्लेरेशन के लिए समय प्रदान करने के उद्देश्य से, TRAI ने 28 अक्टूबर, 2024 को जारी निर्देश के तहत समयसीमा 30 नवंबर, 2024 तक बढ़ा दी।

इन उपायों और पीई और आरटीएम द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, TRAI के तत्वावधान में वेबिनार आयोजित किए जा रहे हैं। पहला वेबिनार 12 नवंबर, 2024 को रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड (RJIL) के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें RBI, SEBI, PFRDA और IRDAI द्वारा विनियमित संस्थाओं के 1000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दूसरा वेबिनार 19 नवंबर, 2024 को वोडाफोन आइडिया लिमिटेड

(VIL) के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकारों के विभागों और RBI, SEBI, PFRDA और IRDAI द्वारा विनियमित संस्थाओं के 800 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस श्रृंखला में अगला वेबिनार 25 नवंबर, 2024 को आयोजित किया जाएगा, जिसे टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड (TTL) के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, अन्य केंद्रीय और राज्य सरकारों के विभागों, RBI, SEBI, PFRDA, IRDAI द्वारा विनियमित इकाइयों, नासकॉम, फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट (FACE), और अन्य संगठनों को आमंत्रण भेजा गया है।

इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, 13,000 से अधिक PEs ने अपने चेन एक्सेस प्रोवाइडर्स के साथ पंजीकृत कर ली हैं, और पंजीकरण तेजी से प्रगति पर है। सेवा प्रदाताओं ने उन सभी प्रमुख संस्थाओं (पीई) और पंजीकृत टेलीमार्केटरों (आरटीएम) को कई चेतावनी नोटिस भेजे हैं, जिन्होंने अभी तक आवश्यक परिवर्तन लागू नहीं किए हैं। सभी PEs और TMs को अपनी चेन डिक्लेरेशन प्राथमिकता पर पूरा करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कोई भी संदेश जो परिभाषित टेलीमार्केटर चेन का पालन नहीं करता है, अस्वीकार कर दिया जाएगा।

अतुल चौधरी 20/11/24

(अतुल कुमार चौधरी)

सचिव, ट्राई